रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED NO. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 455] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 3, 1979/कार्तिक 12, 1901
No. 455] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 3, 1979/KARTIKA 12, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1979

का. आ. 632(अ).—निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग उस कालावधि को, जिसके दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य-क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के बारे में निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित कराने के लिए कोई दावा या उसकी किसी प्रविष्टि की बाबत कोई आक्षेप किया जा सकता है, तारीख 10 नवम्बर, 1979 (शनिवार) तक जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ाता है ।

[सं. 23/अं. नि. द्वी./79]

एम. एल. चन्दा, अवर सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 1979

S.O. 632(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to rule 12 of the Registration of Electors Rules, 1960 the Election Commission of India hereby extends upto and including 10 November, 1979 (Saturday) the period within which a claim for the inclusion of a name, or any objection to an entry, in the electoral roll of the Parliamentary Constituency of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands may be made.

[No. 23/ANI/79]

M. L. CHANDA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979